



XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3403-तीन/14

जिला - टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	पर्यवेक्षक तथा आवेदक	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.10.14	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनी कशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उन्हें प्रकरण की माध्यता पर सुनाया गया । उनके द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 का है जिसके तहत द्वितीय अपील कलेक्टर के यहां किए जाने का प्रावधान है बुटिवश इस न्यायालय में निगरानी पेश कर दी गई है अतः यह निगरानी आवेदक को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जाये । विचारोपरांत आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र उसे सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जाये । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> सदस्य</p>



न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक- III / 2014 .

मो. 5.11.14 21/21/14 37/14 7.10.14

4000
7.10.14

21/21/14
7.10.14

हीरालाल तनय काशीराम यादव, निवासी-
मोहनपुरा, ग्राम पंचायत मामौन, तहसील व
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. मनोहरलाल यादव तनय रामसेवक यादव,
निवासी-मोहनपुरा, ग्राम पंचायत मामौन, तहसील
व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

—गैरनिगरानीकर्तागण